UPMT010010162026

<u>न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–800/2026
अजीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–55/2026, धारा–109(1), थाना–बल्देव, जिला मथुरा के अभियुक्त **अजीत** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा थानाध्यक्ष पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक–16.02.2026 को वह अपनी पुलिस पार्टी के साथ थाने से रवाना होकर वास्ते गश्त चैकिंग, रोकथाम जुर्म जरायम, देखरेख शांति व्यवस्था, तलाश वांछित अपराधी, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर छिबरउ पुलिया के पास चैकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर खास ने उपस्थित आकर सूचना दी कि मुकदमें से सम्बंधित अभियुक्तगण कासिमपुर अण्डरपास के नीचे अपनी सफेद रंग की सिफ्ट कार में किसी अन्य घटना को अंजाम देने के फिराक में खड़े हैं, जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके घटना पहुंचे, जैसे ही अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आते हुए देखा तभी पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायर किया, जिससे सभी पुलिस वाले बाल–बाल बचे। अभियुक्तगण को आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो उनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे सभी अभियुक्तगण बाल–बाल बचे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में नियत्रित फायर किया, तो बदमाश के कराहने की आवाज आयी और बदमाश की तरफ से फायर आना बंद हो गया। एक बदमाश भागते हुए दिखायी दिया, जिसका पीछा किया गया, किन्तु वह अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया। गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक बदमाश जमीन पर पड़ा कराह रहा है, जिसके पैर से रक्तश्राव हो रहा था। जमीन पर घालय बदमाश ने अपना नाम मानवेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ मुन्ना बताया, उसके कब्जे से कुल 1820/–रु० नकद, एक अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए, ड्राइवर सीट पर बैठे बदमाश ने अपना नाम अजीत बताया, उसके कब्जे से कुल 1300/–रु० नकद बरामद हुए। मौके पर मौजूद कार को चैक किया गया तो गाड़ी के डेसबोर्ड अजीत का आधार कार्ड व तीन मोबाइल बरामद हुए। उक्त बार के बारे में पूछने पर बताया कि उनका साथी जो मौके से भागा है, उसका नाम विवेक है, उक्त कार उसकी की है। अभियुक्त से बरामद तमंचे व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया गया, तो दिखाने में कासिर रहा। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए अभिरक्षा में लिया गया तथा फर्द मौके पर तैयार कर की गयी। वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। उक्त मामले में पुलिस पार्टी के किसी सदस्य के कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्त का सह अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ मोनू उर्फ मुन्ना से कोई सम्बंध व सरोकार नहीं है। अभियुक्त के कब्जे से किसी भी हथियार का बरामद होना प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। वास्तविकता यह है कि पुलिस अभियुक्त को

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 10:31:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पूछताछ के बहाने दिनांक–15/16.02.2026 की रात्रि में उसके घर से पकड़कर ले आयी और थाने पर निरूद्ध रखकर उक्त केस में झूठा चालान कर जेल भेज दिया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धारा का कोई अपराध नहीं बनता है। अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–17.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस द्वारा गिफ्तारी के दौरान जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करने का आरोप है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त मामले में पुलिस पार्टी के किसी सदस्य को फायर आर्म्स की कोई चोट नहीं है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक–17.02.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। सह अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–10.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।